06/25 03.01.2025 17.06.2025

बउनवान

1. राजेश कुमार तिवाडी पुत्र श्री मामचन्द जाति ब्राहमण निवासी भानोत तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0 हाल निवासी मकान नम्बर 1736 पी, सेक्टर 56, 56 ए, ऑफ सी आई ए आफिस के पीछे वल्लभगढ फरीदाबाद हरियांणा।

:— प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र

अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि आराजी ख0 नं0 हाल 466/0.23 हैक्0, वाके ग्राम भानोत तहसील मुण्डावर में स्थित है। उक्त आराजी में हो रहा प्रार्थी के नाम दुरूस्ती बाबत विवाद है इसलिये प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।
2. यह है कि आराजी मुतनाजा प्रार्थी की खरीद शुदा आराजी है जिस पर कदीमी काबिज होकर प्रार्थी अपने हिस्से पर व प्रार्थी का भाई अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है मौके पर आज भी प्रार्थी अपने हिस्से पर काबिज होकर शांतिपूर्वक काश्त कर रहा है।
3. यह है कि आराजी मुतनाजा के कब्जा बाबत मौके पर कोई विवाद नहीं है प्रार्थी अपने अपने हिस्से व स्थान पर काबिज है।
4. यह है कि आराजी मुलनाजा में सहवन से प्रार्थी का नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र मामचन्द दर्ज हो रहा है जबकि पाथी का वास्तविक नाम राजेश कुमार तिवाडी पुत्र श्री मामचन्द है और राजेश कुमार तिवाडी के नाम से सभी दस्तावेज प्राथी के बने हुये है। तथा पाथी के दस्तावेजात में प्राथर्थी का नाम राजेश कुमार तिवाडी दर्ज है। लेकिन राजस्व रिकोर्ड में मिन प्राथी का नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र मामचन्द दर्ज कर दिया जिसे मिन प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

दुरुस्त कराकर अपना नाम राजेश कुमार तिवाडी पुत्र श्री मामचन्द दर्ज कराना चाहता है।

5. यह है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकोर्ड में राजेन्द्र कुमार पुत्र मामचन्द दर्ज रहने से प्राथर्थी अपने अधिकारों से महरूम रह रहा है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकोर्ड में राजेन्द्र कुमार पुत्र मामचन्द दर्ज रहने से प्रार्थी केडिट कार्ड से ऋण उठाने, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभ से व आराजी पर विधुत कनैक्शन लेने, विक्रय करने, विनिमय करने के अधिकारो से वंचित रह रहा है। इसलिये प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमी आया है।

6. यह है कि आराजी मुतनाजा में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र मामचन्द दर्ज होने की जानकारी दिनांक 20/11/2024 को हुयी जब प्रार्थी रिकोर्ड की नकले निकलवायी उसके बाद प्रार्थी अप्राथी से नाम शुद्धी के लिये निवेदन करता रहा और तहसील कार्यालय में चक्कर लगाता रहा लेकिन प्रार्थी का नाम दुरूस्त नहीं किया तो अंत में न्यायालय श्रीमान में प्रार्थना पत्र मिली कानूनी सलाह से पेश किया जा रहा है।

7. यह है कि प्रार्थना पत्र दायरी से पूर्व अप्रार्थी को दो माह का नोटिस देना आवश्यक था लेकिन प्रार्थना पत्र अरजेन्ट नेचर का होने के कारण नोटिस का समय नहीं रहा इसलिये बिना नोटिस ही प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। ईजाजत प्रार्थना पत्र दफा 80 (2) जाप्ता दिवाना सलग्न प्रार्थना पत्र है।

8. यह है कि आराजी मुतनाजा में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र मामचन्द दर्ज होने की जानकारी दिनांक 20/11/2024 को हुयी जब प्रार्थी रिकोर्ड की नकले निकलवायी उसके बाद प्रार्थी अप्रार्थी से नाम शुद्वी के लिये निवेदन करता रहा और तहसील कार्यालय में चक्कर लगाता रहा लेकिन प्रार्थी का नाम दुरूस्त नहीं किया बस यही तारीख बिनायदावी व बिनाय मुखास्मत पैदा होकर प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि उक्त आराजी ख० नं० हाल 466/0.23 हैक्०, वाके ग्राम भानोत तहसील मुण्डावर के राजस्व रिकोर्ड में अंकित प्रार्थी का नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र मामचन्द के स्थान पर राजेश कुमार तिवाडी पुत्र श्री मामचन्द दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करे। श्रीमानजी की महति कृपा होगी।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की विधिवत रूप से तामिल करावाई गई, अप्रार्थी की विधिवत रूप से तामिल होने के बाद उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत किया गया। जो पत्रावली शामिल है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2072—75, आधारकार्ड, पैनकार्ड, बैक पास बुक की प्रति पेश की।

प्रार्थी वकील ने अपने बहस के दौरान कथन कहे कि विवादित आराजी में प्रार्थी का राजेन्द्र कुमार पुत्र मामचन्द दर्ज है जबकी प्रार्थी का सही नाम राजेश कुमार तिवाडी पुत्र मामचन्द है। प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात में राजेश कुमार तिवाडी पुत्र मामचन्द है। इसलिए प्रार्थी का राजस्व रिकोर्ड में अंकित राजेन्द्र कुमार पुत्र मामचन्द को कलमजन किया जाकर राजेश कुमार तिवाडी राजस्व रिकोर्ड में अमलदरामद किया जावें।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन, प्रार्थी वकील की बहस पर मनन करने पर प्रार्थना पत्र का विवेचन इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तोवजात में राजेन्द्र कुमार पुत्र मामचन्द ना होकर राजेश कुमार तिवाडी पुत्र मामचन्द दर्ज है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र के उक्त विवेचन के अनुसार यह न्यायालय प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर विवादित आराजी हाल हाल 466/0.23 है0, वाके ग्राम भानोंत तहसील मुण्डावर में अंकित प्रार्थी का नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र मामचन्द को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर राजेश कुमार तिवाडी पुत्र मामचन्द राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

Scanned with OKEN Scanner